



भारतीय रिज़र्व बैंक

चंडीगढ़

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में वर्दियों की सिलाई के लिए दर्जी/टेलरिंग फर्मों का पैनल बनाने हेतु आवेदन

दर्जी/ टेलरिंग फर्म का नाम : - _____

पता : - _____

मोबाइल एवं ई-मेल : - _____

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : - 18 फरवरी 2026 को 14:00 बजे तक



अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ ने इच्छुक पक्षकारों को कार्य की पृष्ठभूमि की सूचना देने हेतु इस दस्तावेज़ को तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई सूचना को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है तथा यह विश्वास करते हैं कि यह सूचना सही है, न ही भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके प्राधिकरण या एजेंसियां और न ही इसके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट्स या परामर्शदाता इस दस्तावेज़ में दी गई सूचना या इससे संबंधित दी जाने वाली कोई अन्य सूचना के पूर्ण होने या सही होने के संबंध में कोई वारंटी या बयान स्पष्टतया या सुझाव रूप में नहीं देते हैं।

जानकारी को सम्पूर्ण न माना जाए। इच्छुक पक्ष अपने प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ कर सकते हैं और प्रतिवादी को इस बात की पुष्टि लिखित में करनी होगी कि उन्होंने ऐसा ही किया है और आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सूचना पर ही निर्भर नहीं है। यह सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी प्राधिकरण अथवा एजेंसी अथवा उनके किसी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट अथवा सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पैनल के साथ आगे न बढ़ने अथवा परियोजना का कॉन्फिगरेशन बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारणी को बदलने अथवा लागू प्रक्रिया अथवा कार्यविधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति करने वाले किसी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से मना करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।

इसमें इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ में वर्दियों की सिलाई के लिए दर्जी/ टेलरिंग फर्मों के पैनलीकरण हेतु आवेदन

भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ द्वारा उन प्रतिष्ठित दर्जियों/टेलरिंग फर्मों, जिनके प्रतिष्ठान चंडीगढ़/पंचकुला/मोहाली के भीतर पंजीकृत/स्थापित हैं, से अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के लिए वर्दियों की सिलाई हेतु दर्जियों/ टेलरिंग फर्मों के पैनल बनाने के लिए आवेदन मँगवाए जा रहे हैं।

1. पात्रता मापदंड : -

1.1. अनुभव	<p>केवल वे दर्जी/ टेलरिंग फर्म जिनके पास सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/आरबीआई/बैंकों/पीएसयू/अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों आदि में वर्दी सिलाई के कार्य का पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम से कम तीन वर्षों का अनुभव है, आवेदन करने के पात्र हैं ।</p> <p>इस संबंध में, आवेदक को पिछले पाँच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के विवरण को दर्शाते हुए 'अनुबंध-II' के अनुसार अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी और सहायक दस्तावेजी साक्ष्य (ग्राहक प्रमाण पत्र / कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र, कार्य आदेश, प्रासंगिक दस्तावेज आदि) भी प्रस्तुत करनी होगी। सूची में विवरण जैसे कि ग्राहक का नाम, कार्य का विवरण, किये गए कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत तथा समाप्ति की तारीख, विलंब के कारण, यदि कोई हो आदि शामिल होंगे ।</p> <p>(कृपया ग्राहक प्रमाणपत्र/कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, कार्य आदेश, संबन्धित दस्तावेज आदि संलग्न करें)</p>
1.2. जीएसटी पंजीकरण	दर्जी/ टेलरिंग फर्मों के पास लागू तथा मान्य जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है । (कृपया जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की एक प्रति संलग्न करें)
1.3. पता :	दर्जी / टेलरिंग फर्म चंडीगढ़/पंचकुला/मोहाली में स्थापित होनी चाहिए (कृपया पते के लिए मान्य दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

1.4 बयाना जमा राशि (ईएमडी):	<p>दर्जी/ टेलरिंग फ़र्मों को एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिये गए बैंक खाते में रु. 15,000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) की ईएमडी (जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है) के साथ उनकी निविदा को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>लाभार्थी नाम : भारतीय रिझर्व बैंक, चंडीगढ़</p> <p>लाभार्थी खाता संख्या : 186003001</p> <p>आईएफएससी : RBIS0CGPA01 (5वां तथा 10वां अंक शून्य है)</p> <p>पैनल बनाने की प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद असफल आवेदकों के ईएमडी रिफ़ंड कर दिये जाएँगे। इसके अलावा, दर्जी के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन करने के आधार पर दर्जियों के पैनल की वैद्यता के समाप्त होने के बाद सफल आवेदकों की ईएमडी रिफ़ंड कर दी जाएगी।</p> <p>यह कृपया नोट किया जाए कि पहले से पैनलीकृत दर्जियों/दर्जी फ़र्मों को नई ईएमडी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
1.5 बैंक खाता	<p>दर्जी/ टेलरिंग फर्म के पास एक वैद्य बैंक खाता होना आवश्यक है जिसका विवरण (खाते धारक का नाम, बैंक खाता संख्या, प्रकार, आईएफएससी, बैंक पता आदि) बैंक को प्रदान किया जाएगा।</p>

2. कार्य का सामान्य कार्यक्षेत्रः -

2.1. बैंक के कर्मचारियों को वर्दियों की आपूर्ति के लिए दर्जी द्वारा सिलाई की जाने वाली वर्दियों की सूची अनुबंध – ए में उल्लिखित हैं ।

वर्दियों की सिलाई के लिए आवश्यक कपड़ा (अनुबंध – ए में यथाविनिर्दिष्ट जहां भी लागू हो) बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। अन्य आइटम जैसे कि अंदरूनी लाइनिंग, पतलून की जेब, पैंट ज़िप, धागे, बटन आदि की आपूर्ति बैंक द्वारा नहीं की जाएगी ।

2.2. उक्त सिलाई कार्य करते समय दर्जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है :

i) सूती कपड़ा कटिंग से पहले कम से कम 36 घंटों के लिए उचित रूप से सिकुड़ा (श्रंक किया) जाना होगा ।

ii) सिलाई और फिटिंग, जो कर्मचारियों के माप के आधार पर की जाएगी, अच्छे मानक की होनी चाहिए। दोषों के मामले में, वर्दी को बैंक से बिना किसी अतिरिक्त लागत, जिसमें वर्दी कपड़े की लागत भी शामिल है, की फिर से सिलाई करना या सुधार करना होगा ।

iii) संतोषजनक जांच-परख के बाद ही वर्दियों को स्वीकृत किया जाएगा ।

iv) वर्दियों की सिलाई अनुमोदित पैटर्न के अनुसार की जाएगी । विशेष रूप से :

a) जहां पर अन्यथा बताया गया हो को छोड़कर सभी पतलूनों में हिप पॉकेट दी जाएगी ।

b) किसी भी पतलून में घड़ी जेब नहीं बनाई जाएगी ।

c) सभी कोटों में दो अंदरूनी जेबें दी जाएगी ।

d) आपूर्ति का वर्ष और पहनने वाले के आद्याक्षरों को पैंट, कोट और बुश शर्ट के अंदर या अस्तर पर अमिट स्याही में बहुत स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना है ।

v) वर्दियों की आपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर आदेश / पैनल को रद्द करने सहित जुर्माना लगाया जाएगा। वर्दियों की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण सेट में की जानी चाहिए। अपूर्ण, व्यक्तिगत वर्दी सेटों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

vi) पूरे ऑर्डर की आपूर्ति के लिए स्वीकृत दरें बनी रहेगी, भले ही कुछ कर्मचारियों के लंबी छुट्टी पर होने की स्थिति में इसके पूर्ण निष्पादन में देरी हो।

3. आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेशः

3.1 इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र 19 जनवरी 2026 (10.00 बजे से 17.00 बजे तक) से 18 फरवरी 2026 तक किसी भी कार्य दिवस को भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, तीसरी मंजिल, सेक्टर -17, चंडीगढ़ -160017 के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से 'टेंडर्स' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध उक्त आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया टेलीफोन 0172-2726713 पर संपर्क करें।

3.2. पहले से पैनलीबद्ध संविदाकारों को भी पैनल में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। (नोट- पहले से पैनल में शामिल दर्जियों/ टेलरिंग फर्मों को नई बयाना जमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है)

3.3. आवेदकों के लिए 18 फरवरी 2026 को 14.00 बजे या उससे पहले क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर -17, चंडीगढ़ -160017 को संबोधित आवेदन को बैंक को प्रस्तुत करते समय आवेदन और अपेक्षित दस्तावेजों वाले मुहरबंद लिफाफे पर "दर्जियों का पैनल तैयार करना - एचआरएमडी" लिखना अनिवार्य है।

3.4. जांच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार कोई आवश्यक योग्यता मानदंड नहीं रखता है या गलत / असंगत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। केवल उन आवेदकों के आवेदन को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा जो निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए हैं। पैनल तैयार करने संबंधी नोटिस में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को ही पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, बैंक, लोकेशन, कर्मचारियों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, कार्य क्षमता आदि का पता लगाने के लिए आवेदक के प्रतिष्ठान में अपने अधिकारियों द्वारा दैरें की व्यवस्था कर सकता है।

3.5. ग्राहकों जैसे सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/आरबीआई/पीएसयू/अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की सूची पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके समर्थन में कार्य आदेश/कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र की प्रति, आवेदक द्वारा उनके निष्पादित कार्य के लिए प्राप्त भुगतान संबंधी पर्याप्त प्रमाण संलग्न होने चाहिए।

3.6. आवेदन पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित प्रकार से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि आवेदन पत्र में दिया गया स्थान पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त है तो ऐसी जानकारी को कागज की एक अलग शीट पर दिया जा सकता है और उसमें विवरण के भाग, क्रम संख्या और पृष्ठ संख्या के हिस्से को बताते हुए विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद किया जा सकता है।

3.7. दर्जियों के चयन संबंधी निर्णय लेते समय, योग्यता, समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव, निष्पादन, निष्पादित कार्यों के मूल्य और विनिर्देशों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कार्य करने की क्षमता पर बल दिया जाएगा।

3.8. अनुबंध-क के अनुसार वर्दी की सिलाई के लिए दरें अलग से आमंत्रित की जाएंगी।

3.9 पैनल अस्तित्व में आने की तारीख से तीन साल तक वैध रहेगा बशर्ते कि निर्दिष्ट निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाए। सभी सूचीबद्ध दर्जी/टेलरिंग फर्मों के कार्य निष्पादन की बैंक द्वारा समीक्षा की जाएगी और उनकी ओर से किसी एक या अधिक विफलताओं के होने की स्थिति में दर्जी/टेलरिंग फर्मों की अनुमोदित सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है:

- i. एक वर्ष की अवधि में लगातार तीन अवसरों पर निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने वाले कॉल नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है या दी गई संविदा को निष्पादित करने में विफल रहता है।
- ii. संविदाओं/कार्य की किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों जैसे समय सारणी बनाए रखना और व्यावसायिक व्यवहार आदि का लगातार उल्लंघन करता है।
- iii. पैनल की शर्त का पालन करने में विफल रहता है या पैनल बनाने के समय गलत जानकारी देता पाया जाता है।
- iv. दिवालिया घोषित किया जाता है या दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में है, बंद हो जाता है, भंग हो जाता है या विभाजन हो जाता है।

3.10. स्वीकृत दरें पूरे आदेश के लिए लागू रहेंगी, भले ही किसी भी कारण से इसके पूर्ण निष्पादन में देरी हो।

3.11 आवेदक, बैंक के अधिकारियों को कार्य निष्पादन हेतु आवेदक की उपयुक्तता और क्षमता को सत्यापित करने के लिए अपने प्रतिष्ठान का दौरा करने की अनुमति देगा।

3.12 बैंक यह कार्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी एक टेलरिंग फर्म को सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा।

3.13. बैंक निम्नलिखित मामलों में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगा, भले ही आवेदक के पास अन्य सभी पात्रता मानदंड हों:

- i. दर्जी आवेदक की उपयुक्तता और क्षमता को सत्यापित करने के लिए बैंक के अधिकारियों को उनके प्रतिष्ठान का दौरा करने की अनुमति देने में विफल रहता है
- ii. बैंक के अधिकारियों ने अपने दौरे के बाद पाया कि आवेदक की अवसंरचना और कर्मचारियों की संख्या बैंक के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपर्याप्त है।
- iii. बैंक आवेदक को असक्षम पाता है।

3.14 सूचीबद्ध दर्जी/टेलरिंग फर्म जिन्हें कार्य सौंपा गया है, वे अधिकतम 30 दिनों की अवधि में कार्य पूरा करेंगे।

3.15 बैंक यह कार्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी एक टेलरिंग फर्म को सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा ।

3.16 आवेदक के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित लाइसेंस/प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें सांविधिक निकायों से प्राप्त सभी स्वीकृतियां, यदि कोई हों (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित) शामिल हैं। दर्जी/टेलरिंग फर्म ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों जो समय-समय पर लागू होते हैं, के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करेगी और उन्हें पूरा करेगी। यदि दर्जी/टेलरिंग फर्म या उसके कारीगर की ओर से हुई सांविधिक उपबंधों की चूक या उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होता है, तो दर्जी/टेलरिंग फर्म ऐसे नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी ।

3.17 **बिल भुगतान:-** बिल का भुगतान बैंक की संपूर्ण संतुष्टि के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद केवल एनईएफटी के माध्यम से ही किया जाएगा । यदि संविदा में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सिलाई का कार्य नहीं किया जाता है तो बैंक आदेश को रद्द करने या बिल भुगतान को रोकने या बैंक के पास रखी गई अग्रिम राशि से नुकसान, यदि कोई हो, की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और टेलरिंग फर्म के लिए बाध्यकारी होगा ।

भुगतान लागू करों की कटौती के बाद दर्जी/ टेलरिंग फर्म के संतोषजनक निष्पादन के बाद किया जाएगा।

3.18. **अर्थदंड :-** विलम्ब की स्थिति में, बैंक को सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए प्रति दिन 500 रुपये तक का अर्थदंड लगाने का अधिकार है । इसके अलावा, बैंक वेंडर को खराब निष्पादन के मामले में दंड भी लगा सकता है जैसे कि वस्तुओं को ठीक से सिला न पाया जाना या बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार न होना ।

3.19. गैर-प्रकटीकरण खंड: - दर्जी/टेलरिंग फर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि की ऐसी किसी भी सूचना, सामग्री और विवरण को प्रकट नहीं करेगी जो इस संविदा के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान दर्जी/टेलरिंग फर्म को ज्ञात होती है या जानकारी में आ सकती है और सदैव इसे सख्त गोपनीयता में रखा जायेगा । दर्जी/ टेलरिंग फर्म संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि इसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। दर्जी/ टेलरिंग फर्म बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगी । दर्जी/ टेलरिंग फर्म किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को दर्जी/टेलरिंग फर्म की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपायों का उपयोग करने का हकदार होगा । दर्जी/ टेलरिंग फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य के लिए लगे व्यक्तियों को गैर-प्रकटीकरण आवश्यकता के बारे में अवगत कराया जाए और दर्जी/ टेलरिंग फर्म अपने व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगी। उपर्युक्त करारों के अंतर्गत दर्जी/टेलरिंग फर्म द्वारा

हस्ताक्षरित गैर-प्रकटीकरण खंड अनिश्चित काल तक लागू रहेगा ।

3.19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह दर्जी /टेलरिंग फर्म उत्तरदायी होगी। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, शिकायत आपूर्तिकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और आपूर्तिकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

- i) आपूर्तिकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
- ii) वेंडर के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए दर्जी / टेलरिंग फर्म उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि आपूर्तिकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- iii) दर्जी/टेलरिंग फर्म अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

3.20. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान: संविदा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विवादों और मतभेदों को भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और लिखित रूप में दिया गया उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। तथापि, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रक्रिया के माध्यम से नहीं निपटाए गए किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए कानूनी क्षेत्राधिकार केवल चंडीगढ़ होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व-योग्यता के लिए पक्षों की क्षमता और योग्यता का आकलन करने का अधिकार है।

बैंक बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी/ सभी आवेदनों या उसके किसी भी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है।

बैंक सबसे कम दर उद्धृत निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/निबंधनों व शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त कार्य मुझे/हमें सौंपे जाने की स्थिति में, यह मुझे/हम पर बाध्यकारी होगा।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम (.....)

(बड़े अक्षरों में):

हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति अर्थात् स्वामी/साझेदारः



तकनीकी बोली

भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ के लिए यूनिफॉर्म/वर्द्धी की सिलाई हेतु दर्जी/टेलरिंग फर्मों का पैनल बनाने के लिए आवेदन

दिनांक _____ के आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं/हम पैनल में मेरा/हमारा नाम शामिल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हैं:

1.	दर्जी / टेलरिंग फर्म का नाम	
2.	दर्जी/ टेलरिंग फर्म के पंजीकरण का प्रकार	
3.	आवेदक का टेलीफोन नंबर	
4.	निगमन प्रमाण पत्र, संस्था के बहिर्नियम, साझेदारी पंजीकरण आदि जैसे दस्तावेजों के सभी विवरणों के साथ आवेदक का पंजीकरण (यदि कोई हो), तारीख सहित।	
5.	दर्जी / टेलरिंग फर्म का पता (कृपया एक वैध दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)	
6.	दर्जी / टेलरिंग फर्म का जीएसटी नंबर (कृपया जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)	
7.	टेलरिंग के कार्य का अनुभव (वर्षों में) (ग्राहक का विवरण प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कृपया अनुबंध-II में प्रदान किया जाए)	
8.	दर्जी/ टेलरिंग फर्म द्वारा जमा की गई ईएमडी संबंधी विवरण	
	राशि	
	भुगतान की तिथि	
	संदर्भ संख्या	

9.	वर्कशॉप में वर्दी की सिलाई के लिए लगे श्रमिकों की संख्या	
10.	दर्जी/ टेलरिंग फर्म के बैंक खाते का विवरण	
	खाता धारक का नाम	
	बैंक खाता संख्या	
	खाते का प्रकार	
	आईएफएससी	
	शाखा का पता	
11.	इंगित करें, यदि किसी मुकदमे में नामजद हों तो	
12.	निष्पादित किसी भी कार्य में लंबित कोई दीवानी मुकदमा – कृपया विवरण दें।	
13.	कोई अन्य जानकारी	

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(फर्म के हस्ताक्षर मुहर के साथ)

नाम:

स्थान:

तारीख:

कार्य अनुभव का विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्जी/टेलरिंग फर्म द्वारा निष्पादित समान टेलरिंग कार्यों की सूची:

मैं हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(नोट: कृपया ग्राहक प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र, कार्य आदेश, संबंधित दस्तावेज़ आदि संलग्न करें)

हस्ताक्षरः

३८

पद्मासः

स्थानः

दिनांकः

निबंधन एवं शर्तों का स्वीकृति पत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17,
चण्डीगढ़ – 160017

महोदय,

- 1) मैंने/हमने पैनल नोटिस, पात्रता मानदंड, कार्य के सामान्य विषय-क्षेत्र, आवेदकों के लिए सामान्य निर्देशों और आवेदन प्रोफॉर्म के साथ संलग्न अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम समझते हैं कि यदि बाद की तारीख में किसी भी गलत जानकारी का पता चलता है, तो मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मेरे/हमारे और भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ के बीच की गई किसी भी भावी संविदा को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमान्य माना जाएगा।
- 2) मैं/हम सहमत हैं कि सिलाई फर्म के चयन में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मुझे/हम पर बाध्यकारी होगा।
- 3) मैंने/हमने निर्धारित प्रोफार्म में मूल विवरण, पिछले अनुभव का विवरण, अर्हक कार्यों का विवरण और लागू ग्राहक के प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
- 4) मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि संलग्न शीट में मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है या इसके साथ संलग्न शीट में दी गई जानकारी पर कोई अन्य पूछताछ की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
- 5) प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ हमारे बैंकरों का विवरण और मेरे/हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण भी संलग्न है।
- 6) यदि यह कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है, तो मैं/हम आवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित सभी निबंधनों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर:

नाम:

स्थान:

दिनांक:

वर्ष में सिलाई के लिए वर्दियों (लिवरियों) की सूची

क्र.सं.	श्रेणी	वर्दी/लिवरी का प्रकार/ पैमाना
1	बैंक के चिकित्सा अधिकारी	टेरी कॉटन के तीन सफेद एप्रन बंद कॉलर लंबे कोट के साथ घुटने तक के हों, जिसमें आधी आस्तीन और चार खुली जेब होती हैं - वार्षिक
2.	फार्मासिस्ट	टेरी कॉटन के तीन सफेद एप्रन बंद कॉलर लंबे कोट के साथ घुटने तक के हों, जिसमें आधी आस्तीन और तीन खुली जेब होती हैं - वार्षिक
3.	पूर्व सूबेदार ग्रेड I की ऊँटी करने वाले प्रधान कार्यालय परिचारक और पूर्व सूबेदार ग्रेड II की ऊँटी करने वाले वरिष्ठ कार्यालय परिचारक	चार सफेद लंबी पैंट और जोधपुरी प्रकार के कोट एक ऊपरी जेब, दो निचली जेब और दो अंदर की जेब के साथ। एपॉलेट्स को ठीक करने के लिए लूप प्रदान किए जाने हैं। कोट की आस्तीन को कोहनी से कलाई तक पीछे की ओर स्लिट किया जाना है और कफ पर शर्ट की तरह बटन किया जाना चाहिए और एपॉलेट्स को ठीक करने के लिए एक लूप प्रदान किया जाना चाहिए - द्विवार्षिक रूप से
4.	रिकॉर्ड कर्लर्क	चार सफेद टेरी सूती लंबी पैंट, एक ऊपरी जेब के साथ पूर्ण आस्तीन के साथ टेरी कपास के चार सफेद टेरी कॉटन शर्ट - द्विवार्षिक
5.	पूर्व एसी प्लांट अटेंडेंट/सब स्टेशन अटेंडेंट की ऊँटी करने वाले वरिष्ठ तकनीकी परिचारक	चार गहरे भूरे रंग की टेरी कॉटन लंबी पैंट, एक जेब के साथ पूर्ण आस्तीन के साथ चार फॉन टेरी कॉटन बुश शर्ट, आधी आस्तीन और ऊपरी जेब के साथ नीले टेरी कॉटन में तीन बॉयलर सूट - द्विवार्षिक
6.	सुरक्षा गार्ड	चार खाकी टेरी कॉटन लंबी पैंट दो ऊपरी जेब (पैच) और कंधे के फ्लैप के साथ चार खाकी टेरी कॉटन पूर्ण आस्तीन शर्ट - द्विवार्षिक
7.	अन्य सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चार गहरे भूरे रंग की टेरी कॉटन लंबी पैंट एक जेब के साथ पूर्ण आस्तीन के साथ चार फॉन टेरी कॉटन बुश शर्ट - द्विवार्षिक
शीतकालीन लिवरीज (वर्दी)		
9.	चतुर्थ श्रेणी के सभी पुरुष कर्मचारी (सुरक्षा गार्डों को छोड़कर)	जेब के ऊपर 'आरबीआई' शब्दों के साथ एक जोधपुरी प्रकार का सूट - द्विवार्षिक रूप से
10.	महिला कर्मचारी	एक लंबा कोट (वरीयता के आधार पर)- द्विवार्षिक

11.	सुरक्षा गार्ड	कंधे के फ्लैप के साथ दो अंगोला शर्ट खाकी (पूर्ण आस्तीन), दो सर्ज ऊनी ट्रॉउजर खाकी - द्विवार्षिक
12.	उन लोगों को छोड़कर सभी तकनीकी परिचारक जिन्हें पहले से ही बॉयलर सूट प्रदान किए जा रहे हैं	तीन नेवी ब्लू टेरी कॉटन लॉना कोट पूरी आस्तीन, बंद कॉलर और दो जेब के साथ घुटने तक पहुंचते हैं
13.	केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अधिसूचित अथवा बैंक द्वारा निर्णीत कोई अन्य मद।	